अध्याय – VIII

निर्माण गतिविधियां-बल वार

पूर्व अध्यायों में, निष्पादन कार्यों के दौरान देखी गई अनियमितताओं पर विस्तार में चर्चा की गई है। तथापि, अन्तिम उपभोक्ता होने पर सी.ए.पी.एफ. निष्पादन कार्यों की सम्पूर्ण मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा बल वार निर्माण गतिविधियों की एक विहंगम दृष्टि प्रस्तुत करता है जिनकी निम्नलिखित प्राचलों पर तुलना की गई थी:

1. कार्यकारी एजेंसियों का चयन
2. कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक अनुमानों की संवीक्षा
3. प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय संस्वीकृति दिया जाना
4. ठेका दिए जाने से कार्यकारी एजेंसी द्वारा समापन तक कार्यों की मॉनीटरिंग
5. वित्तीय अनियमितताएं
6. स्थापित परिसम्पतियों का अधिकार लेना
7. परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण तथा उपयोग

विश्लेषण निम्न डाटा के आधार पर किया गया था।

तालिका 8.1 : निर्माण कार्यों के बल-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

बल का नाम	चयनित कार्यों की कुल संख्या	कार्यकारी एजेंसी	राज्यों की संख्या जिनमें कार्य निष्पादित किए गए	संस्वीकृत राशि
ए.आर.	132	विभागीय. 5 पी.डब्ल्यू.ओ. 127	8	631.09
बी.एस.एफ.	155	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 92 विभागीय. 42 पी.डब्ल्यू.ओ.. 21	22	407.27
सी.आई.एस.एफ.	61	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 55 पी.डब्ल्यू.ओ. 6	11	245.02
सी आर पी एफ	171	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 151 पी.डब्ल्यू.ओ. 20	21	1257.31

आई टी बी पी	102	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 75 विभागीय. 25 पी.डब्ल्यू.ओ. 2	17	279.19
एन.एस.जी.	14	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 9 विभागीय. 5	2	68.47
एस.एस.बी.	75	सी.पी.डब्ल्यू.डी. 56 विभागीय. 16 पी.डब्ल्यू.ओ. 3	9	369.01
कुल	**710**	सी.पी.डब्ल्यू.डी. **438** विभागीय. **93** पी.डब्ल्यू.ओ. **179**		**3257.36**

8.1. कार्यकारी एजेंसी का चयन

सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्यकारी एजेंसी के चयन के लिए कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं था। जैसाकि अध्याय ।। में चर्चा की गई है, कार्य के निष्पादन हेतु सी.ए.पी.एफ. ने या तो पी.डब्ल्यू.ओ. की ओर से कार्य की संस्वीकृत राशि रखने अथवा नामांकन आधार पर अन्य सी.पी.डब्ल्यू.डी. के चयन से सी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से कार्य निष्पादित कराया गया था। सी.ए.पी.एफ. द्वारा पी.डब्ल्यू.ओ. के बीच कार्य का वितरण निम्न प्रकार था:

चार्ट 8.1: सी ए पी एफ द्वारा कार्यकारी एजेंसियों का चयन

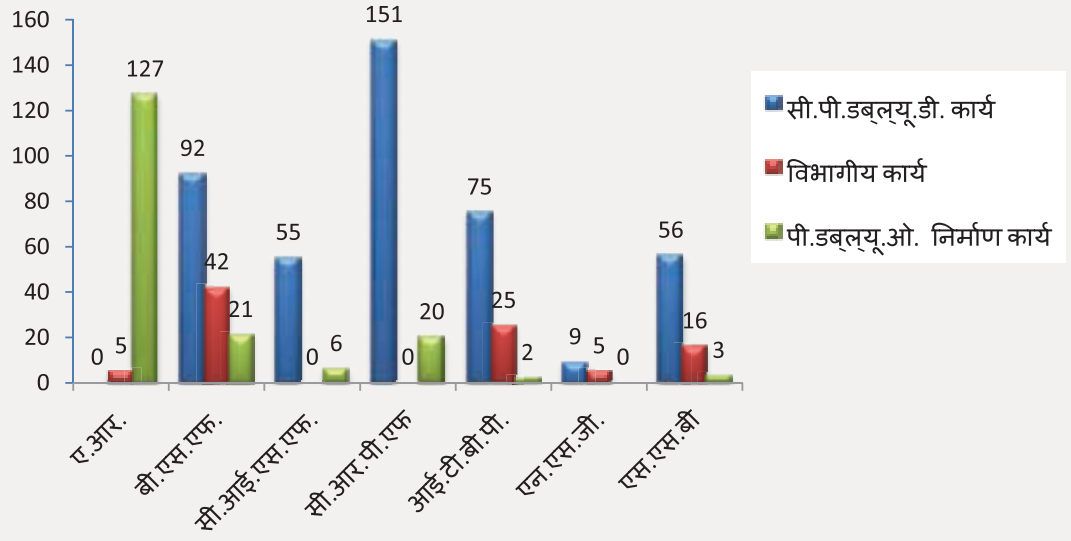

ए.आर. ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. को कोई कार्य नहीं सौपा था और इस तर्क पर कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. परियोजनाओं में विलम्ब करता है जिसका परिणाम समय तथा लागत के बढ़ने में होता हैं, पर अपने कार्यों के निष्पादन के लिए नामांकन आधार पर अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. का चयन किया। तथापि, यह दोनों समस्याएं अन्य पी.डब्ल्यू.ओ. में भी विद्यमान थी। सी.पी.डब्ल्यू.डी. सहित कार्यकारी एजेंसियों के चयन के लिए प्रतियोगी बोली आमंत्रण हेतु सी.ए.पी.एफ. में एक समान पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए।

8.2. कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक अनुमानों की संवीक्षा

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यकारी एजेंसियों ने सी.ए.पी.एफ. से अनुरोध की प्राप्ति के बाद पी.ई. प्रस्तुत करने में 56 महीने तक लिए। यह पाया गया था कि इस अनुचित विलम्ब की सी.ए.पी.एफ. द्वारा कभी भी मॉनीटरिंग नहीं की गई थी। यद्यपि कार्यकारी एजेंसियों ने दिल्ली प्लिंथ क्षेत्र दर (डी.पी.ए.आर.) के आधार पर प्राथमिक अनुमान तैयार किए परन्तु यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सी.ए.पी.एफ. का था कि तैयार अनुमान उनकी आवश्यकता के अनुसार है और निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सभी मदों को शामिल करते हैं। तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नलिखित मामलों में पी.ई. की उचित प्रकार से संवीक्षा करने में सी.ए.पी.एफ. विफल हो गए जिसके परिणामस्वरूप बाद में स्थिति में परिवर्तन, लागत वृध्दि और समय बढ़ोत्तरी हुई (जैसा अध्याय ।v मे विस्तृत है):

तालिका 8.2 प्राथमिक अनुमानों में बल वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

(₹ करोड़ में)

बल का नाम	आवश्यकता का अनुचित निर्धारण	पूर्वचरण निर्माण में विफलता	गलत पी.ई. तैयार करना	पी.ई. में मदें शामिल न करना	जोड़
ए.आर.	39.36	-	1.40	15.26	56.02
बी.एस.एफ.	-	-	0.09	-	0.09
सी.आई.एस.एफ.	0.69	-	-	-	0.69
सी आर पी एफ	-	2.21	12.73	-	14.94
आई टी बी पी	0.77	-	-	-	0.77
कुल	**40.82**	**2.21**	**14.22**	**15.26**	**72.51**

8.3. प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय संस्वीकृति दिया जाना

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में एम एच ए द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन और एम एच ए/सी.ए.पी.एफ. द्वारा व्यय संस्वीकृति देने के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा पी.ई. की संवीक्षा की जाती है। यद्यपि ए.ए. एवं ई.एस. देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु लेखापरीक्षा ने पांच महीने का उचित समय संगणित किया। यह देखा गया था कि एम एच ए/सी.ए.पी.एफ. द्वारा ए.ए. एवं ई.एस. देने में लिया गया समय 76 महीने तक था। इस विलम्ब के कारण अभिलेखों पर नहीं पाए गए थे। निर्माण कार्य, जिनमे लिया गया समय पांच महीने के औसत से अधिक था, की प्रतिशतता और इनकी अनुकूल संस्वीकृत राशि निम्नलिखित चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट 8.2: ए.ए. एवं ई.एस. देने में बल वार विलम्ब

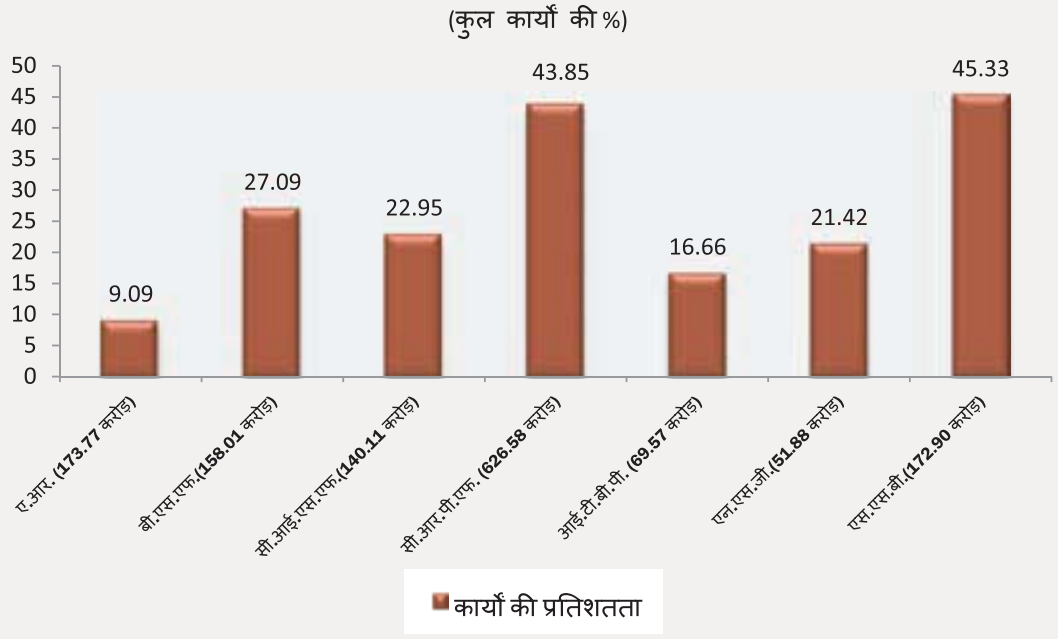

यह स्पष्टतया दर्शाता है कि एस.एस.बी. तथा सी आर पी एफ के क्रमश: 45 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत से अधिक चयनित कार्य एए.ए.वं ई.एस. देने में विलम्बित थे। एए.ए.वं ई.एस. देने में अनुचित विलम्ब सम्पूर्ण परियोजना पर प्रपाती प्रभाव डालता था जिससे अनेक मामलों में ए.ए. एवं ई.एस. असंगत हो गए। तथापि एए/ईएस का अनुमोदन करने में ऐसा समय लेने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

8.4. कार्य का विभाजन

ए.ए. एवं ई.एस. में विलम्ब के अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि उच्च प्राधिकारियों की संस्वीकृति लेने से बचने के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्य विभाजित किए गए थे और ऐसे मामले भी देखे गए थे जहाँ व्यय ए.ए. एवं ई.एस. के 10 प्रतिशत से अधिक था परन्तु सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियम पुस्तक द्वारा यथा अपेक्षित संशोधित संस्वीकृति सी.ए.पी.एफ. द्वारा प्राप्त/ली नहीं गई थी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया:

तालिका 8.3: कार्यों के विभाजन के बल-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

बल का नाम	विभाजित कार्यों में अन्तर्ग्रस्त राशि	कार्य की राशि जहाँ संशोधित संस्वीकृति नहीं ली गई
		ए.ए. एवं ई.एस. की राशि
बी.एस.एफ.	38.21	4.08
सी.आई.एस.एफ.	-	4.79
सी आर पी एफ	166.00	18.44
आई टी बी पी	-	17.28
एन.एस.जी.	2.41	0.15
एस.एस.बी.	-	5.61
कुल	**206.62**	**50.35**

सी.ए.पी.एफ. को उच्च प्राधिकरण अर्थात एम एच ए की संस्वीकृति का परिहार करने को उद्देश्य से कार्यों का विभाजन बन्द करना चाहिए। सभी सी.ए.पी.एफ. से वित्तीय मामलों में विशेष रूप से अधिक सतर्क होने की अपेक्षा की जाती है और संशोधित संस्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी क्योंकि व्यय संस्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत से अधिक था।

8.5 कार्य देने से समापन तक सी.ए.पी.एफ. द्वारा मॉनीटरिंग की कमी

कार्यकारी एजेंसियों को निविदा आमंत्रण प्रक्रिया का अनुपालन करना है और पात्र तथा निम्नतम निविदादाता को कार्य सौंपने और यह सुनिश्चित करने कि कार्य समय पर पूर्ण हो की अपेक्षा की जाती है। तथापि अन्तिम उपभोक्ता होने पर सी.ए.पी.एफ. से कार्य सौंपने की प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करने और कार्य का समय से समापन सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रगति की आवधिक रूप से मॉनीटरिंग करने की भी अपेक्षा की जाती है। उनसे कार्य के समय से समापन के संबंध में समय-समय पर चेतावनी देने की भी अपेक्षा की जाती है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 240 कार्यों, जहाँ कार्यों को सौपने में विलम्ब छः महीने से अधिक था, में से 34 कार्य (14 प्रतिशत) स्वयं सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित किए गए थे।

जबकि कार्यकारी एजेंसियां कार्य सौपने तथा समापन मे विलम्ब के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी थी वहीं इन विलम्बों के लिए सी.ए.पी.एफ. की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता है।

चार्ट-8.3: छ: महीनों के बाद पूर्ण हुए कार्यों की प्रतिशतता

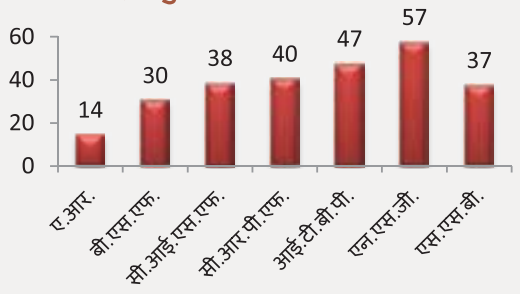

लेखापरीक्षा में दो चरणों पर, पहला यह देखने के लिए कि पी.डब्ल्यू.ओ. के साथ सम्पर्क, ठेके समय पर दिए गए हैं और निर्माण के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई की कमी देखी गई, यहाँ फिर अनुपालन करने के लिए कोई मानदण्ड नहीं थे। लिए गए औसत समय के आधार पर उचित समय ढ़ाचा (छ: माह) इस विश्लेषण का आधार था। लगभग 50 प्रतिशत कार्य सभी सी.ए.पी.एफ. में समय पर पूर्ण नहीं किए जा सके थे। यह सी.ए.पी.एफ. द्वारा परियोजनाओं की खराब मॉनीटरिंग और कार्यकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से सामयिकता पर जोर न देने का संकेत था। कार्यों को सौपने और समापन में विलम्ब अधिकांशत: समन्वय और अनुमानों मे समायोजनों में समस्याओं के कारण थे। लेखापरीक्षित कार्यों में से कोई भी समय पर पूर्ण नहीं हुआ था और यह सभी संगठनों में देखा गया था। यह एक माह से आरम्भ कर लघु विलम्बों से 7 वर्षों तक प्रमुख विलम्बों को शामिल करता है। 63 कार्यों (16 प्रतिशत) जहाँ कार्य नियत तारीख के बाद पूर्ण हुए थे, सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित किए गए थे। यह दर्शाता है कि सी.ए.पी.एफ. में प्रभावी मॉनीटरिंग तन्त्र विद्यमान नहीं था जिसके कारण अपने द्वारा निष्पादित कार्यों की उन्होने मॉनीटरिंग नहीं की थी।

चार्ट-8.4: निर्धारित तिथि के पश्चात् पूर्ण हुए कार्य की प्रतिशतता

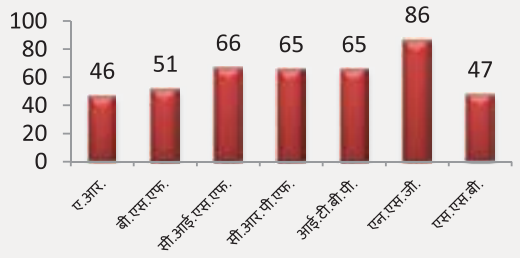

8.6 वित्तीय अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में 390 कार्यों में ₹160.89 करोड़ की राशि की अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं में जुटाव अग्रिम का लेखा न बनाना, जुटाव अग्रिम उस पर ब्याज का समायोजन न करना, निधि का विपथन, परिनिर्धारित हर्जानों की वसूली न करना और सांविधिक प्राप्यों की वसूली न करना/कम वसूली करना शामिल हैं। बल वार स्थिति निम्नवत है:

चार्ट 8.5 कार्य निष्पादन के दौरान वित्तीय अनियमितताएं
(₹ करोड़ में)

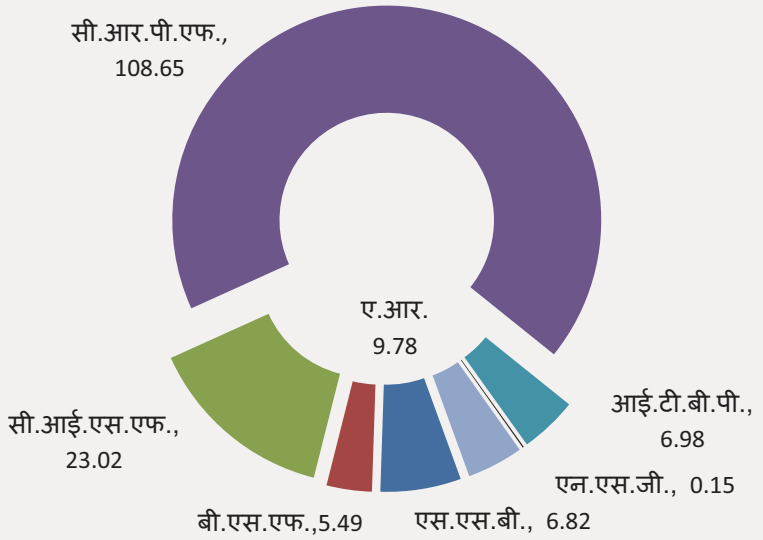

वित्तीय अनियमितताएं मुख्यतया सी आर पी एफ (67 प्रतिशत) और सी.आई.एस.एफ. (14 प्रतिशत) के कार्यों में देखी गई थीं। वित्तीय अनियमितताओं के व्यौरे अध्याय-v।। में स्पष्ट किए गए हैं। सी आर पी एफ में लेखापरीक्षा में जुटाव अग्रिमों, परिनिर्धारित हर्जानों की वसूली न करना, जुटाव अग्रिमों के समायोजन से पूर्व बैंक गारंटी जारी करना, अधिक भुगतान आदि में देखी गई। यह वित्तीय मॉनीटरिंग तन्त्र को सुदृढ करने के लिए सी.ए.पी.एफ. की आवश्यकता को दर्शाता है।

8.7 अपूर्ण कार्यों का अधिकार लेना

कार्य समापन बाद सी.ए.पी.एफ. से पूर्ण कार्यों की उचित प्रकार जांच करने और यह सुनिश्चित करने कि ये विनिर्देशनों और अवश्यकताओं के अनुसार किए गए है और प्रयोजन, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया को पूरा करते हैं, की अपेक्षा की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा में सी.ए.पी.एफ. को कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पूर्ण कार्य न सौपने अथवा अपूर्ण कार्य सौपने के दृष्टान्त देखे गए जैसा अध्याय-IV के पैरा 4.5.7 में स्पष्ट किया गया ऐसे कार्यों की बल वार स्थिति निम्नवत थी:

तालिका 8.4 अपूर्ण कार्यों का अधिकार लेने के बल-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

बल का नाम	कार्यों की संख्या	संस्वीकृत राशि
ए.आर.	6	34.88
बी.एस.एफ.	1	0.20
सी आर पी एफ	4	43.73

द्वारका में असम रायफल्स के लिए क्वार्टरों तथा हॉस्टल के निर्माण में प्रत्येक चरण पर हुई अनियमितताओं वाले कार्य का एक सुस्पष्ट उदाहरण था। वर्णनात्मक दूसरी ओर से अनियमितताएं इस अध्याय के सुसंगत भागों में स्पष्ट की गई है जबकि चित्र नीचे चित्रित है:

मामला अध्ययन 8.1:

द्वारका नई दिल्ली में कुल 88 टाइप-II,III तथा IV क्वाटरों के लिए मई 2003 में एम एच ए ने ₹4.50 करोड़ संस्वीकृत किए। ए.आर. ने कार्य को दो भागों में विभाजित किया और एक भाग यथा 32 टाइप II, 16 टाइप III क्वार्टरों, लडकों के लिए 30 कमरे और लडकियों के लिए 20 कमरे हास्टलों का निर्माण जनवरी 2004 में ₹4.81 करोड़ जो ₹16.85 करोड़ तक संशोधित किया गया, से इ.पी.आई.एल. को दिया गया। बाद में 2009 में ए.आर. ने 32 टाइप II तथा 8 टाइप IV क्वार्टरों का बकाया कार्य ₹16.45 करोड़ से ई पी आई एल को दिया। दोनों कार्य जून 2015 तक अब भी अपूर्ण हैं। निर्माण गतिविधियों के दौरान क्रमिक घटनाओं के ब्यौरे नीचे चित्रित हैं:

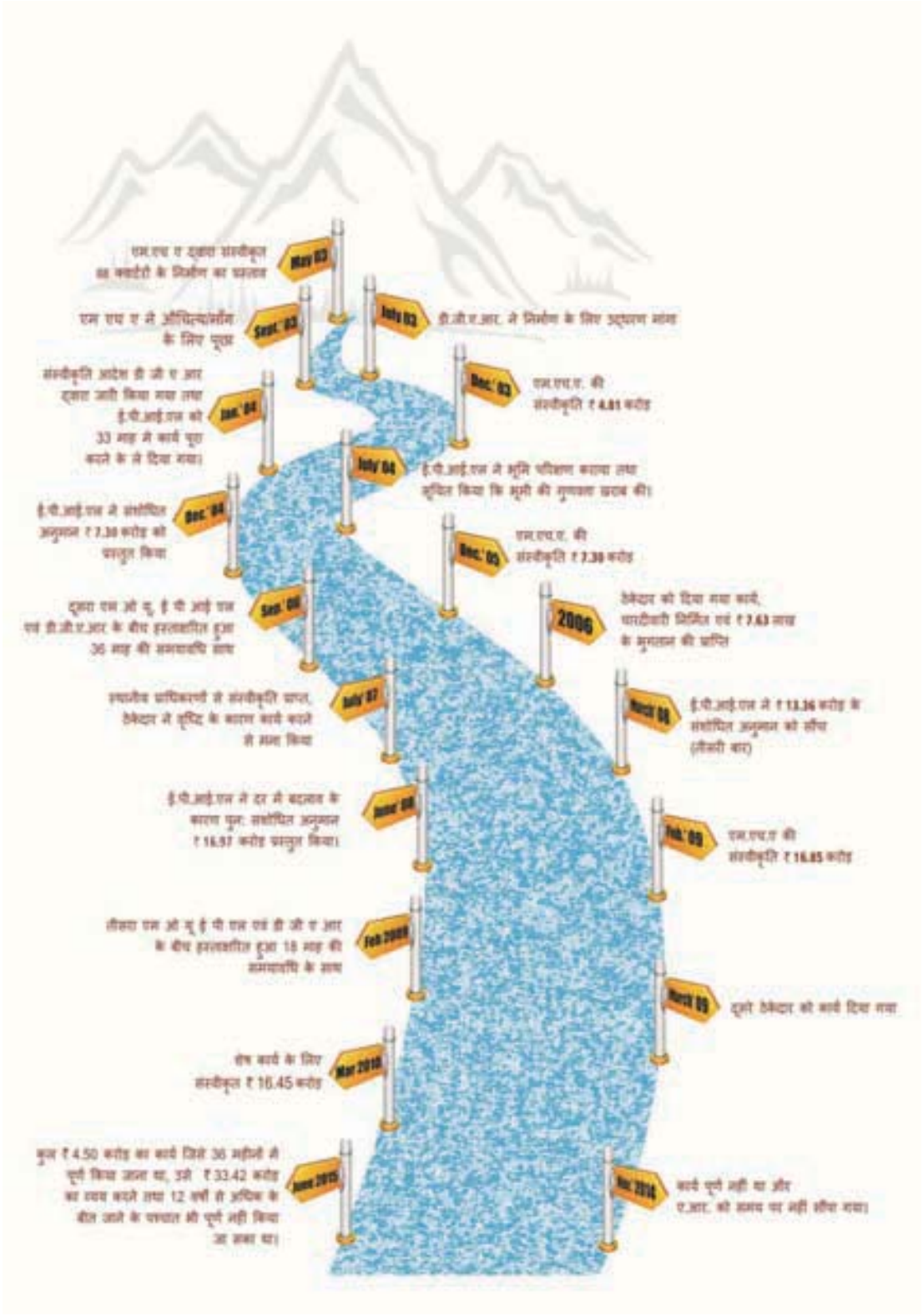

चार्ट - 8.6

अध्याय – VIII :
निर्माण गतिविधियां (बल-वार)

ए.आर. ने यह कहते हुए अपने उत्तर (जून 2015) में आपत्ति स्वीकार कर ली कि ए.आर. का दिल्ली में एक सम्पर्क कार्यालय है और इसके कार्मिक देश के विभिन्न भागों से हैं इसलिए ए.आर. कार्मिक के लिए दिल्ली में पूर्वोत्तर से कुछ आवास अनुमोदन प्रतिसंतुलन करने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार एम.एच.ए. से संस्वीकृति प्राप्त की गई थी। उन्होने बताया कि कार्य विभिन्न कारणों जैसे भवन की ड्राइंग में परिवर्तन, एम.एच.ए. से संशोधित सस्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, लागत सूचकांक में वृध्दि के कारण अनुमानों की वृध्दि के कारण विलम्बित थे। उन्होने आगे बताया कि स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण था और कार्य के भाग के निष्पादन में विलम्ब के लिए ई.पी.आई.एल. उत्तरदायी था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिल्ली में 88 क्वार्टरों का निर्माण उचित नहीं था क्योंकि ए.आर. के प्रचालन क्षेत्र का अधिदेश पूर्वोत्तर भारत में था न कि दिल्ली में। कार्य न केवल कार्यकारी एजेंसी (ई.पी.आई.एल.) के कारण विलम्बित था बल्कि ए.आर. द्वारा कार्य की खराब मॉनीटरिंग के कारण भी था।

इस प्रकार, मूल कार्य जो 36 महीनों की समापन की निर्धारित तारीख के साथ मई 2003 में ₹4.50 करोड़ पर अनुमानित था अब भी अर्थात ₹33.42 करोड़ का व्यय करने के बाद और 643 प्रतिशत की लागत वृद्धि के साथ 12 वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद निर्माणाधीन (जून 2015) है।

8.8 निर्मित भवनों का उपयोग

चूंकि किसी भवन के निर्माण का मूल प्रयोजन उसका अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग करना है इसलिए यह सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है कि भवन पूर्व परिभाषित उपयोग में लाया गया था। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टान्त देखे गए जहाँ निर्मित भवन पूर्णतया उपयोग नहीं किए गए थे जैसा अध्याय-VI के पैरा 6.3.2. में स्पष्ट किया गया है। बलों द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग न किए गए निर्माण की कुल संस्वीकृत राशि नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार थी

तालिका 8.5 निर्मित भवनों के उपयोग के बल-वार ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

बल का नाम	संस्वीकृत राशि
ए.आर.	18.19
सी आर पी एफ	7.08
एस.एस.बी.	2.18
कुल	**27.45**

अधिकतम ऐसे मामले ए.आर. में पाए गए थे और बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., और सी.आई.एस.एफ. तथा एन.एस.जी. में ऐसे मामले नहीं पाए गए थे।

8.9 संसाधनों का अनुरक्षण

पूर्व में सी.ए.पी.एफ. के सभी निर्माण कार्य सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निष्पादित किए गए थे इसलिए सभी कार्यालय/आवासीय भवनों का अनुरक्षण सी.पी.डब्ल्यू.डी. का उत्तरदायित्व था परन्तु पी.डब्ल्यू.ओ. यथा एन बी सी सी, ई पी आई एल, एन पी सी सी एल, ए पी एल आदि द्वारा सी.ए.पी.एफ. के लिए निष्पादित कार्य उनके द्वारा अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे क्योंकि भवनों के अनुरक्षण के लिए प्रावधान उनके एम ओ यू में समाविष्ट नहीं किए गए थे। सी.पी.डब्ल्यू.डी. इस तर्क पर कि ये भवन उनके द्वारा निर्मित नहीं थे, के आधार पर इन भवनों का अनुरक्षण करने को तैयार नहीं था और पी.डब्ल्यू.ओ. अनुरक्षण हेतु अत्यधिक प्रभारों अर्थात अनुरक्षण की अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत तक एजेंसी प्रभारों के रूप में मांग कर रहे थे। चूंकि पी.डब्ल्यू.ओ. के अनुरक्षण प्रभार अधिक थे इसलिए सी.ए.पी.एफ. निधियों के अभाव के कारण इन पी.डब्ल्यू.ओ. को अनुरक्षण ठेका देने को तैयार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप इन पी.डब्ल्यू.ओ. द्वारा स्थापित सी.ए.पी.एफ. की परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण न करना/खराब अनुरक्षण हुआ।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में एस एस जी ग्रेटर नोएडा में सी.आई.एस.एफ. कैम्पस के लिए 240 आदमी 3 बैरकों के निर्माण एवं एस.एस.सी. ग्रेटर नोएडा मे सी.आई.एस.एफ. कैम्पस के लिए 108 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण में अनेक कमियां देखी गई जो कार्यालय/आवासीय भवनों का खराब अनुरक्षण दर्शाता है। एन बी सी सी ने सूचित किया कि संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान देखी गई समस्याएं मुख्यतया भवनों का अनुरक्षण न करने के कारण थीं। ये बैरकें दो वर्ष पूर्व निर्मित की गई थी और सी.आई.एस.एफ. द्वारा इनका उचित अनुरक्षण नहीं किया गया था।

8.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट था कि कार्यकारी एजेंसियों द्वारा पाई के प्रस्तुतीकरण मे अनुचित विलम्ब, जिनकी सी.ए.पी.एफ. द्वारा मॉनीटरिंग नहीं की गई थी, और परिणामस्वरूप बाद के चरणों पर कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। एम एच ए/सी.ए.पी.एफ. द्वारा ए.ए. एवं ई.एस. देने में विलम्ब का सम्पूर्ण परियोजना पर प्रपाती प्रभाव पडा था जिससे अनेक मामलों में एए.ए.वं ईएस असंगत हो गए। उच्च प्राधिकारियों की संस्वीकृति लेने से बचने के लिए सी.ए.पी.एफ. द्वारा कार्य विभाजित किए गए थे।

सी.ए.पी.एफ. में लगभग 50 प्रतिशत कार्य समय पर पूर्ण नहीं किए जा सके। इसने सी.ए.पी.एफ. द्वारा परियोजनाओं की खराब मॉनीटरिंग और कार्यकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से सामयिकता को प्रेरित न करने को दर्शाया। इसके अलावा, लगभग 16 प्रतिशत कार्य, जो नियत तारीख के बाद पूर्ण हुए थे, स्वयं सी.ए.पी.एफ. द्वारा निष्पादित किए गए थे। सभी सी.ए.पी.एफ. में विशेष कर सी.आर.पी.एफ. और सी.आई.एस.एफ. में वित्तीय अनियमितताएं भी देखी गई थीं जिसने वित्तीय मॉनीटरिंग के तन्त्र को सुदृढ़ करने की सी.ए.पी.एफ. की आवश्यकता को दर्शाया। सी.ए.पी.एफ. ने अपूर्ण कार्यों को अधिकार में ले लिया जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय देयता तथा जवानों को असुविधा हुई। ऐसे दृष्टान्त देखे गए थे जहाँ नवीन निर्मित भवन अभिप्रेत प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किए गए थे।